न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 16 / 2024	2024 / 41	01.07.2024	10.03.2025

01. राकेश चंद पुत्र गोवर्धन जाति गुर्जर निवासी सक्काला हाल निवासी नांगल दासा तहसील टहला जिला अलवर राज०।
02. ओमरतन पुत्र गोवर्धन जाति गुर्जर निवासी सक्काला हाल निवासी नांगल दासा तहसील टहला जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. तहसीलदार टहला, तहसील टहला जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट

अपील बाबत निरस्त फरमाये जाने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टहला जिला अलवर राज0 के आदेश दिनांक 09.01.2024 नामा. सं. 455 वाके ग्राम नांगलदासा तहसील टहला जिला अलवर।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री दीपक मीणा (राजकीय अभिभाषक) —वकील रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू. अ.) टहला तहसील टहला जिला अलवर आदेश दिनांक 09.01.24 नामान्तकरण संख्या 455 वाके ग्राम नांगलदासा तहसील टहला से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 62 / 464 63, 63 / 456, 63 / 457 वाके ग्राम नांगलदासा तहसील टहला में प्रेमदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गूर्जर का 150 / 199 खातेदार काश्तकार थी जिसने अपनी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उक्त आराजी का बेचान अपीलांट को दिनांक 02.11.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दिया ओर उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा मौके पर संभवला दिया वक्त खरीद से अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत खरीदार खातेदार काबिज है उक्त बयनामा के इंतकाल हेतु अपीलांट ने पटवारी हल्का को बयनामा प्रस्तुत किया पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.12.23 को इंतकाल भर दिया गया जिस इंतकाल को तहसीलदार टहला ने दिनांक 09.01.2024 को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि उपरोक्त आराजी पर अदालत एस.डी.ओ. राजगढ के यहां से स्थगन आदेश है, इसलिये खारिज किया जाता है। जिस इंतकाल के निर्णय के समय हम अपीलांट को नहीं बुलाया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अपीलांट पटवारी हल्का के पास दिनांक 18.06.24 को नकल लेने के लिए गया तो उसने बताया कि आपका इंतकाल तहसीलदार ने खारिज कर दिया है इसलिये नकल लेकर नियमानुसार कार्यवाही करे। अपीलांट ने उस दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 21.6.24 को प्राप्त हुयी नकल मिलने पर वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होने अपील की सलाह दी अतः अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है। तहसीलदार टहला के द्वारा निर्णित इंतकाल के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.24 का है जिनकी जानकारी मिन अपीलांट को 18.06.24 को जब अपीलांट पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने जानकारी दी इससे पूर्व हम अपीलांट को कोई जानकारी उक्त इंतकाल खारिज बाबत नहीं थी। जिससे अपील मामूलन अंदर अवधी पेश है। अधिनस्थ न्यायालय टहला ने निर्णय/आदेश करने से पूर्व हम अपीलांट को ना तो सुना और ना कोई सूचना दी और ना हमें हमें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा गलत रूप से इतकाल खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एस डी एम साहब का स्थगन होने के कारण नामांतकरण खारिज किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को इस इंतकाल को स्टे कर देना चाहिये था ओर स्थगन आदेश से खारिज करने का कोई अधिकार नहीं था।

अधिनस्थ न्यायालय ने एस.डी.ओ. साहब जिस स्थगन आदेश का हवाला दिया है वो आदेश दिनांक 02.04.2024 को खारिज हो गया है। इंतकाल की कार्यवाही तहसीलदार को पेन्डिग रखनी चाहिये थी। इंतकाल दिनांक 23.12.23 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिस इंतकाल को तस्दीक करने का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार था पटवारी हल्का को इंतकाल तस्दीक करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिये था। तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं था। विवादित भूमि पर हम अपीलांट आज भी काबिज है और हमारा कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार है। इंतकाल में भू–राजस्व निरीक्षक की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। जबकि कानूनन भू अभिलेख निरीक्षक के पास यह इंतकाल मिलाने के लिए पेश किया जाना चाहिये था जो भी नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलाट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार टहला का आदेश दिनांक 09.01.24 बाबत नामान्तकरण संख्या 455 वाके ग्राम नांगलदासा तहसील टहला निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम उक्त इंतकाल तस्दीक किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी हमने श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर का 150/199 खातेदार काश्तकार थी जिसने अपनी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उक्त आराजी का बेचान अपीलांट को दिनांक 02.11.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कर दिया एवं उक्त आराजी का कब्जा अपीलांट को संभलवा दिया। वक्त खरीद से उक्त आराजी पर अपीलांट कब्जे काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.12.2023 को इंतकाल भर दिया जिसे तहसीलदार टहला द्वारा दिनांक 09.01.2024 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त आराजी पर अदालत एस डी ओ राजगए के यहां स्टे आदेश है इसलिये खारिज किया जाता है। इंतकाल के निर्णय के समय हम अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। इंतकाल दिनांक 23.12.2023 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिस इंतकाल को तस्दीक करने का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार था पटवारी हल्का को इंतकाल तस्दीक करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करना चाहिये था। तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं था। अतः आदेश दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

09.01.24 बाबत नामान्तकरण संख्या 455 वाके ग्राम नांगलदारा तहसील टहला निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम उक्त इंतकाल तस्दीक किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

रेसपोडेंस की तरफ से राजकीय अभिभाषक ने वकील अपीलांट द्वारा किये गये तथ्यों को नकारते हुए कथन किये कि विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2023 के समय विवादित आराजी पर श्रीमती प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर कब्जा नहीं था। इस कथन की स्वीकारोक्ति स्वयं श्रीमती प्रेम देवी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में विचाराधीन दावा प्रेम देवी बनाम रामफूल मुकदमा संख्या 01/69/2020 मे की है। इसलिये दिनांक 02.11.2023 को जारी विक्रय पत्र कब्जे के अभाव में शून्य दस्तावेज हैं। अतः बेचान से वाद बहुलता बढेगी एवं उक्त आराजी पर विवाद भी बढ सकता है। इस स्थिति में तहसीलदार टहला द्वारा दिनांक 09.01.2025 को इंतकाल खारिज करने के आदेश न्यायहित में सही एवं आवश्यक थे। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजात का मिलान किया गया। उक्त विवादित आराजी के संबंध में श्रीमती प्रेम देवी द्वारा दिनांक 02.11.2023 विक्रयनामा करवाया किन्तु दौराने विक्रयनामा श्रीमती प्रेम देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर के पास उक्त आराजी का कब्जा नहीं था एवं इस स्थिति की स्वीकारोक्ति स्वयं श्रीमती प्रेम देवी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में विचाराधीन दावा प्रेम देवी बनाम रामफूल मुकदमा संख्या 01/69/2020 मे की थी। इसलिये दिनांक 02.11.2023 को जारी विक्रय पत्र कब्जे के अभाव में शून्य दस्तावेज हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में विचाराधीन दावा प्रेम देवी बनाम रामफूल मुकदमा संख्या 01/69/2020 में श्रीमती प्रेम देवी ने विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कब्जे से हटाकर बेदखल करने हेतु प्रार्थना भी की। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त आराजी पर कब्जे काश्त इत्यादि को लेकर लम्बे समय से विवाद रहा है। अतः बेचान से वाद बहुलता बढेगी एवं उक्त आराजी पर विवाद भी बढ सकता था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा प्रकरण संख्या 02/194/2023 में उपरोक्त विवादित आराजी ख0न0 पर स्थगन होने की स्थिति में तहसीलदार टहला द्वारा खारिज नामांतरकरण सख्या 455 दिनांक 09.01.2024 न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर